06/4/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी पक्ष उपस्थित।
बाद बहस निर्णय किया जाता है। विस्तृत निर्णय
अलग से लिखवाकर शामिल किया गया। डिक्री
जारी हो। नकल से कर दी।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2017/00320

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 165/2017 CMCMS-2017/00320 दायर दिनांक : 28.07.2017

लालगिर पुत्र गंगागिर जाति गोसाई निवासी चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) —वादी

बनाम

1. पेमा बेवा गंगागिर जाति गोसाई निवासी चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. काशी गिर पुत्र गंगागिर जाति गोसाई निवासी चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (फौत)
   - 2/1. बृजगिर
   - 2/2. सुलतान गिर
   - 2/3. मनफूल गिर
   - 2/4. दलीप गिर
   - 2/5. रूकमा गिर
   - 2/6. गुड्डी
   - 2/7. नानू (फौत)

   } पुत्र–पुत्रीयान स्व. काशीगिर पुत्र गंगागिर अकवाम गोसाई निवासीयान चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

   - 2/7/1. जगदीश
   - 2/7/2. राजू
   - 2/7/3. शारदा देवी
   - 2/7/4. भादर पुरी

   } पुत्र–पुत्री नानू पुत्री काशीगिर अकवाम गोसाई निवासीयान चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. रूपगिर पुत्र गंगा गिर जाति गोसाई निवासी चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (फौत)
   - 3/1. विद्या देवी पत्नी स्व. रूपगिर
   - 3/2. पूर्णगिर
   - 3/3. मोहनगिर
   - 3/4. गणेश गिर
   - 3/5. चूनी गिर
   - 3/6. राजगिर (फौत)

   } पिसरान रूपगिर

   - 3/6/1. मनोहरी देवी पत्नी स्व. राजगिर
   - 3/6/2. लिछमा
   - 3/6/3. हेमगिर
   - 3/6/4. सिलोचना
   - 3/6/5. सेठिया उर्फ सेठू

   } पुत्र–पुत्री स्व. राजगिर

   } अकवाम गोसाई निवासीयान चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:11 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

4. गोपाल गिर पुत्र गंगा गिर जाति गोसाई निवासी चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. कृष्ण गिर पुत्र गंगा गिर जाति गोसाई निवासी चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. नरेन्द्र सिंह पुत्र भान सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 पी.जी.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. गुरदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी नाईवाला तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी साबनिया तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर
9. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
10. उप–पंजीयक, सूरतगढ़/राजियासर

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92–ए व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री सोम प्रकाश शर्मा व श्री प्रमेन्द्र सिंह, अभिभाषकगण वादी
2. श्री दलवीर सिंह सोवना, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1, 2/3, 3/2, 4 व 5
3. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : ...06.04.2026

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। पक्षकारान के अभिभाषकगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में, पत्रावली के विचारण तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता गंगागिर के नाम चक 3 एस.पी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 137/22 में 16.00 बीघा, पत्थर नं. 137/30 में 25.00 बीघा, पत्थर नं. 137/38 में 20.00 बीघा, पत्थर नं. 137/46 में 1.00 बीघा, पत्थर नं. 137/47 में 9.00 बीघा, पत्थर नं. 137/49 में 7.00 बीघा, पत्थर नं. 137/40 में 18.00 बीघा, पत्थर नं. 137/32 में 2.00 बीघा, पत्थर नं. 137[illegible] 3.00 बीघा, पत्थर नं. 137/31 में 22.00 बीघा, पत्थर नं. 137/39 में 25.[illegible] बीघा, कुल 148.00 बीघा कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड [illegible] के उपरान्त उनके कुल 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:11 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 मु. पेमा बेवा गंगागिर, काशीगिर, रूपगिर, गोपाल गिर, कृष्ण गिर, लालगिर प्रत्येक के नाम 1/6–1/6 दर्ज कागजात राज हुई, किन्तु सम्वत् 2042 की जमाबन्दी में वादी का नाम छोड़ते हुए प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर दी गई, जबकि वादी का उसमें 1/6 हिस्सा का अंकन होना था। वर्तमान में चालू जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 71 की खाता सं. 43/32 के पत्थर नं. 137/22 में 3.898 है0, पत्थर नं. 137/30 में 6.200 है0, पत्थर नं. 137/38 में 4.935 है0, पत्थर नं. 137/46 में 0.228 है0, पत्थर नं. 137/47 में 2.277 है0, पत्थर नं. 137/39 में 6.325 है0, पत्थर नं. 137/31 में 5.566 है0, पत्थर नं. 137/23 में 0.759 है0, पत्थर नं. 137/32 में 0.506 है0, पत्थर नं. 137/40 में 4.554 है0 व पत्थर नं. 137/48 में 1.771 है0, कुल 37.019 है0 (23.588 है0 कमाण्ड, 12.856 है0 अनकमाण्ड व 0.575 है0 खाला) भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के नाम बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक के नाम 7.403 है0 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जबकि प्रत्येक का 6.169 है0 हिस्सा ही था। उक्त अंकित काश्तकार शिकमी काश्तकार के रूप में प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 प्रत्येक बहिस्सा बराबर दर्ज कागजात सम्वत् 2042 की जमाबन्दी में रहे हैं। इसी गलत अंकन का लाभ उठाकर काशीगिर के 7 वारिसान में से प्रतिवादीगण सं. 2/1, 2/4, 2/5 व 2/6 बृजगिर, दलीपगिर, रूकमा, गुड्डी ने काशीगिर के नाम से गलत अंकित हुए 7.403 है0 भूमि में से अपना 4/7 हिस्सा अर्थात 4.230 है0 भूमि का बेचान प्रतिवादीगण सं. 6, 7, 8 को कर दिया जिसका अंकन भी खरीददारान के नाम हो चुका है और शेष 3.173 है0 भूमि काशीगिर के अन्य वारिसान के नाम दर्ज है। वादी ने प्रतिवादीगण सं. 2/1, 2/4, 2/5 व 2/6 के द्वारा प्रतिवादीगण सं. 6 से 8 के पक्ष में अपने हिस्सा से अधिक भूमि के किये गये बेचान को वादी के हितों पर निष्प्रभावी घोषित करने व हिस्सा से अधिक बेचान की गई भूमि को उनके नाम से कलमजन कर वादी के नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने व इसी प्रकार प्रतिवादीगण सं. 2/[illegible] 2/7 व प्रतिवादीगण सं. 1, 3 से 5 के नाम हिस्सा से अधिक भूमि को [illegible]जन कर वादी के नाम से अंकित किये जाने और वादी की वादाधीन कुल [illegible] में 1/6 हिस्सा यानि 6.169 है0

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

का खातेदार कृषक घोषित किये जाने एवं घोषणा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का अनुतोष चाहा।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 2/1, 2/2, 2/4 से 2/6, 2/7/1 से 2/7/4, 3/1, 3/3 से 3/5, 3/6/1 से 3/6/5, 6, 7, 8 व 10 के विरुद्ध दिनांक 14.01.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण सं. 1, 2/3, 3/2, 4 व 5 की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये, किन्तु उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ। उनका जवाबदावा बन्द कर निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

(1) आया कि वादी के पिता गंगागिर के फौत हो जाने पर जैरवाद भूमि उनके कुल 6 वारिसान के नाम से विरासतन प्राप्त हुई ? (वादी)

(2) आया कि वाद–पत्र की मद संख्या 5 में अंकित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम से 1/6 हिस्सा यानि 6.169 है0 भूमि प्रत्येक के नाम से अंकित होनी थी, किन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2042 में वादी का नाम अंकन ना होने से प्रतिवादी सं. 1 ता 5 में प्रत्येक के नाम से 1/5 हिस्सा दर्ज होने के कारण पेमा, काशीगिर, रूपगिर, गोपालगिर, कृष्णगिर के नाम से प्रत्येक के 7.403 है0 भूमि प्रत्येक के नाम से दर्ज हो गई जबकि उक्त भूमि में प्रत्येक का 6.169 है0 हिस्सा था, इस प्रकार 1.234 है0 जो प्रत्येक वारिसान के नाम के हिस्सा से अधिक दर्ज हुआ है, को प्रत्येक से कलमजन करवाकर अपने नाम 6.169 है0 हिस्सा दर्ज करवाने का हकदार है ? (वादी)

(3) आया वादी मुताबिक इन्तकाल संख्या 2 दिनांक 06.06.1981 के भूमि में 1/6 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित करवाने का हकदार है ? (वादी)

(4) अन्य अनुतोष।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:11 IST
Reason: SelfAttested

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य पक्षकारान प्राप्त किये गये। वादी ने शपथ–पत्र पर स्वयं के बयान प्रस्तुत किये। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी सं. 2/3, 3/2, 4 व प्रतिवादी सं. 5 के पुत्र [illegible]बराम पुत्र श्री कृष्णगर के

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत हुए। बाद आने साक्ष्य तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए संलग्न जमाबन्दी, गिरदावरी की सत्यप्रतियों की ओर ध्यान दिलाया एवं बयान शपथ–पत्र वादी के आधार पर वाद पूर्णतः सिद्ध होना बताकर वाद को स्वीकार करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा भी शपथ–पत्र में वाद की ताईद की, किन्तु उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का पठन व मनन करने के उपरान्त तनकीवार विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार से हैं :–

तनकी नं. (1) – आया कि वादी के पिता गंगागिर के फौत हो जाने पर जैरवाद भूमि उनके कुल 6 वारिसान के नाम से विरासतन प्राप्त हुई ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए स्वयं के बयान कलमबन्द करवाये, जिस पर जिरह शून्य रही है। वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य पर प्रदर्श अंकित नहीं करवाये गये। द्वितीय, यह साक्ष्य नामान्तरण से सम्बन्धित है, इनका सन्देह से परे बतौर साक्ष्य वाद डिक्री अधिकारों की घोषणा हेतु नहीं किया जा सकता। इस हेतु इन्हें सक्षम अदालत से वारिसान की घोषणा करवाने पर ही अदालत सक्षम अदालत के आदेश के आधार पर किसी खातेदार का अधिकार कम या ज्यादा कर सकती है। इस स्तर पर मात्र नामान्तरण के आधार पर अदालत किसी प्रकार की घोषणा करने की अधिकारिणी नहीं है। नामान्तरण एक नुमाईशी (Fiscal) कार्यवाही है, इसके आधार पर वारिसान प्रमाण–पत्र अथवा घोषणा अधिकार खातेदार घोषित किया जाना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त सरपंच द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र किस अधिकार से किया गया स्पष्ट नहीं है। सरपंच को किस कानून से वारिसान प्रमाण–पत्र जारी करने को अधिकृत किया गया, अभिभाषक वादी नहीं बता सके। उक्त प्रकार तनकी नं. 1 सिद्ध नहीं होने से विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:11 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी नं. (2) – आया कि वाद–पत्र की मद संख्या 5 में अंकित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम से 1/6 हिस्सा यानि 6.169 है0 भूमि प्रत्येक के नाम से अंकित होनी थी, किन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2042 में वादी का नाम अंकन ना होने से प्रतिवादी सं. 1 ता 5 में प्रत्येक के नाम से 1/5 हिस्सा दर्ज होने के कारण पेमा, काशीगिर, रूपगिर, गोपालगिर, कृष्णगिर के नाम से प्रत्येक के 7.403 है0 भूमि प्रत्येक के नाम से दर्ज हो गई जबकि उक्त भूमि में प्रत्येक का 6.169 है0 हिस्सा था, इस प्रकार 1.234 है0 जो प्रत्येक वारिसान के नाम के हिस्सा से अधिक दर्ज हुआ है, को प्रत्येक से कलमजन करवाकर अपने नाम 6.169 है0 हिस्सा दर्ज करवाने का हकदार है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1 से भी है, जो विरुद्ध वादी निर्णय की जा चुकी है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित नहीं होने से पठनीय नहीं, इसलिए तनकी नं. 2 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (3) – आया वादी मुताबिक इन्तकाल संख्या 2 दिनांक 06.06.1981 के भूमि में 1/6 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित करवाने का हकदार है ?

(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1 व 2 से है, जो विरुद्ध वादी निर्णय की जा चुकी हैं। नामान्तरण के आधार पर दस्तावेजी रिकॉर्ड के विपरीत घोषणा सम्भव नहीं, इसलिए तनकी नं. 3 सिद्ध ना होने से विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी नं. 1 विरुद्ध वादी निर्णय होने व इसी अनुसार तनकी नं. 2 व 3 विरुद्ध वादी निर्णय होने से वाद वादी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से आधारहीन मानकर निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील [illegible] दफ्तर हो।

आज दिनांक 06.04.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूंरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

अनवान :–

लालगिर पुत्र गंगागिर जाति गोसाई निवासी चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

1. पेमा बेवा गंगागिर जाति गोसाई निवासी चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. काशी गिर पुत्र गंगागिर जाति गोसाई निवासी चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (फौत)

2/1. बृजगिर
2/2. सुलतान गिर
2/3. मनफूल गिर
2/4. दलीप गिर
2/5. रूकमा गिर
2/6. गुड्डी
2/7. नानू (फौत)

} पुत्र–पुत्रीयान स्व. काशीगिर पुत्र गंगागिर अकवाम गोसाई निवासीयान चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

2/7/1. जगदीश
2/7/2. राजू
2/7/3. शारदा देवी
2/7/4. भादर पुरी

} पुत्र–पुत्री नानू पुत्री काशीगिर अकवाम गोसाई निवासीयान चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

3. रूपगिर पुत्र गंगा गिर जाति गोसाई निवासी चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (फौत)

3/1. विद्या देवी पत्नी स्व. रूपगिर
3/2. पूर्णगिर
3/3. मोहनगिर
3/4. गणेश गिर
3/5. चूनी गिर
3/6. राजगिर (फौत)

} (3/2 – 3/6) पिसरान रूपगिर

3/6/1. मनोहरी देवी पत्नी रूपगिर
3/6/2. लिछमा
3/6/3. हेमगिर
3/6/4. सिलोचना
3/6/5. सेठिया उर्फ [illegible]

} (3/6/2 – 3/6/5) पुत्र–पुत्रीयान रू[illegible]

} अकवाम गोसाई निवासीयान चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

4. गोपाल गिर पुत्र गंगा गिर जाति गोसाई निवासी चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01.11 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

5. **कृष्ण गिर पुत्र गंगा गिर जाति गोसाई निवासी चक 2 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
6. **नरेन्द्र सिंह पुत्र भान सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 पी.जी.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
7. **गुरदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी नाईवाला तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
8. **राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी साबनिया तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर**
9. **तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**
10. **उप–पंजीयक, सूरतगढ़/राजियासर**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 92–ए व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 165 वर्ष 2017 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषकगण वादी श्री सोम प्रकाश शर्मा व श्री प्रमेन्द्र सिंह एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1, 2/3, 3/2, 4 व 5 श्री दलवीर सिंह सोवना तथा पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से आधारहीन मानकर निरस्त किया जाता है।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **06.04.2026** को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़